

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 06 मई, 2022

विषय:- राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु 'ज्येष्ठता' आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि:-

1.1- कार्मिक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2908-का-1-83 दिनांक 22 मार्च 1984 के प्रस्तर-2(1) के अनुसार 'ज्येष्ठता' के आधार पर चयन की प्रक्रिया निम्नवत् हैं: -

“(1) अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन की प्रक्रिया:-

(क) इस सिद्धान्त के तहत रिक्तियों को देखते हुए उनके अनुपात में निर्धारित संख्या के पात्रता क्षेत्र के अधिकारियों के नामों पर वरिष्ठता क्रम में विचार किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम वरिष्ठतम अधिकारी के नाम पर विचार कर उसे उपयुक्त या अनुपयुक्त घोषित करने के बाद दूसरे तथा तीसरे और आगे इसी प्रकार के अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाना चाहिये जब तक रिक्तियों की तुलना में वांछित संख्या में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो जाये। जब प्रोन्नति के लिये वांछित संख्या में अधिकारी उपलब्ध हो जायें तब उसके बाद के अधिकारियों के नामों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(ख) इस सिद्धान्त के आधार पर प्रोन्नति हेतु संबंधित अधिकारियों की, प्रोन्नति के पद के ठीक नीचे के पद पर कार्य करने की अवधि की प्रविष्टियां देखी जाय और यदि वैसी अवधि 10 वर्ष से अधिक हो तो केवल अंतिम 10 वर्ष की प्रविष्टियां देखी जाय।”

1.2 विभिन्न न्यायालय के निर्णयों में यह सिद्धान्त निर्धारित हो चुका है कि विभागीय चयन समिति को चयन हेतु अभ्यर्थियों की उपयुक्तता (Suitability) के समुचित मानको के निर्धारण हेतु अपनी प्रक्रिया तथा ढंग (Method & Procedure) निर्धारित करने का अधिकार है। चयन समिति अनेक उपलब्ध अभिलेख तथा सामूहिक विवेक (Collective Wisdom) के आधार पर अपनी संस्तुति करती है।

1.3 मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक न्यायालयीय वादों (Court Case) में यह निर्देश और सिद्धान्त (Instructions and Rulings) दिये गये हैं कि पदोन्नति हेतु चयन के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता /अनुपयुक्तता का विनिश्चय करने हेतु, विभागीय चयन समिति निष्पक्ष मूल्यांकन हेतु, अपनी विधियों (Own Methods) एवं प्रक्रियाओं (Procedures) का निर्धारण करने हेतु, अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा कतिपय वादों में पारित महत्वपूर्ण निर्णय/संवीक्षाएं संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:-

(a) In A.K. Narula case (AIR 2007 SC 2296), the Hon'ble Supreme Court has observed:

"the guidelines give a certain amount of play in the joints to the DPC by providing that it need not be guided by the overall grading recorded in the CRs, but may make its own assessment on the basis of the entries in the CRs. The DPC is required to make an overall assessment of the performance of each candidate separately, but by adopting the same standards, yardsticks and norms. It is only when the process of assessment is vitiated either on the ground of bias, malafide or arbitrariness, the selection calls for interference. Where the DPC has proceeded in a fair, impartial and reasonable manner, by applying the same yardstick and norms to all candidates and there is no arbitrariness in the process of assessment by the DPC, the court will not interfere".

(b) In Union of India vs. K.V. Jankiraman case (AIR 1991 SC 2010), the Supreme Court has taken cognizance of role of DPC the case of an officer on whom a penalty has been imposed and has held that:

"An employee has no right to promotion. He has only right to be considered for promotion. The promotion to a post and more so, to a selection post, depends upon several circumstances. To qualify for promotion, the least that is expected of an employee is to have an unblemished record. That is the minimum expected to ensure a clean and efficient administration and to protect the public interest. An employee found guilty of misconduct cannot be placed on par with the other employees, and his case has to be treated differently. In fact, while considering an employee for promotion his whole record has to be taken into consideration and if a promotion committee takes the penalties imposed upon the employee into consideration and denies him the promotion, such denial is not illegal and unjustified."

(c) In UOI & Anr. Vs. S.K. Goel & Ors. (Appeal (Civil) 689/2007 -SLP0-2410/ 2007), the Hon'ble Supreme Court has held that:

"DPC enjoyed full discretion to devise its method and procedure for objective assessment of suitability and merit of the candidate being considered by it. Hence interference by High Court is not called for. "While delivering the above judgement, the Division Bench has observed that: "...it is now more or less well settled that the evaluation made by an Expert Committee should not be easily interfered with by the Court which do not have the necessary expertise to undertake the exercise that is necessary for such purpose."

1.4 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के नियम-5(2) में 'ज्येष्ठता' के चयनों को निम्नवत् परिभाषित किया गया है:-

"यदि किसी सेवा नियमावली में या तो 'ज्येष्ठता' (Seniority) अथवा "ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता" (Seniority and Fitness) या "अनुपयुक्त की अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता" (Seniority Subject to the rejection of unfit) अथवा किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त ऐसे ही किसी अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

मानदण्ड की व्यवस्था हो, जिससे कि पदोन्नति हेतु चयन करने में ज्येष्ठता को आधार मानने पर मुख्यतः बल दिया जाय तो इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर और इसके पश्चात् अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता" (Seniority Subject to the rejection of unfit) के मानदण्ड का पालन किया जायेगा।"

2- कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2908-का-1-83, दिनांक 22 मार्च 1984 के प्रस्तर-2(1) के अनुसार 'ज्येष्ठता' के आधार पर चयन की कार्यवाही किये जाने में मुख्यतः निम्नांकित कठिनाईयां अनुभव की जा रही हैं:-

- (1) प्रोन्नति के पद के ठीक नीचे के पद पर कार्य करने की अवधि की प्रविष्टियां देखे जाने की व्यवस्था व्यवहारिक रूप से सदैव प्रभावी नहीं रह जाती है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि विभिन्न सोपानिक पदों पर पदोन्नति के अवसर जल्दी-जल्दी आते रहते हैं और कभी-कभी एक-दो वर्ष बाद ही अगले पद पर पदोन्नति का विचारण किये जाने का अवसर उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में मात्र एक-दो वर्ष की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के आधार पर 'उपयुक्त' या 'अनुपयुक्त' घोषित किया जाना औचित्यपूर्ण एवं तर्कसंगत नहीं है।
- (2) पदोन्नति (उपयुक्त/अनुपयुक्त) में वर्गीकरण किये जाने के कोई सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत न होने के कारण चयन समितियों द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों में, बिना किसी विशिष्ट कारण के भी, एकरूपता नहीं रह पाती है।

3- उपर्युक्त के दृष्टिगत ज्येष्ठता आधारित चयनों को वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी करने के उद्देश्य से विभागीय चयन समिति के उपयोगार्थ निम्नलिखित सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्त/व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

- 3.1 ज्येष्ठता आधारित पदोन्नति पर विचारण करते समय केवल पोषक पद की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा वरन् सम्पूर्ण सेवा अभिलेखों को संज्ञान में लिया जा सकता है किन्तु विशेष ध्यान पदोन्नति के पूर्व के पद/पदों की पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों एवं अन्य सुसंगत सेवा अभिलेखों पर दिया जायेगा।
- 3.2 अन्तिम 05 वर्षों का अभिप्राय संबंधित चयन वर्ष से ठीक 05 वर्ष पूर्व की अवधि के अभिलेखों से होगा। उदाहरण के लिए चयन वर्ष 2021-2022 में यदि चयन 31 दिसम्बर, 2021 के पूर्व सम्पन्न होगा, तो इसके लिए मुख्य रूप से वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2019-2020 तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों एवं अन्य अभिलेखों आदि का संज्ञान लिया जायेगा तथा 31 दिसम्बर, 2021 के बाद सम्पन्न होने वाले चयनों हेतु मुख्य रूप से वर्ष 2016-2017 से वर्ष 2020-2021 तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों एवं अन्य अभिलेखों आदि का संज्ञान लिया जायेगा।
- 3.3 दीर्घ शास्तियों (Major Penalties) में से निम्नांकित दो दीर्घ शास्तियों के अधिरोपित होने की दशा में ही सम्बंधित कार्मिक सेवा में बना रहता है तथा उसकी पदोन्नति पर विचारण किये जाने का अवसर उत्पन्न होता है:-

- (1) संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि का रोकना (Withholding of increments with cumulative effect).
- (2) किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति करना (Reduction to a lower post or grade or time scale or to a lower stage in a time scale).

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3.3.1 संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि के रोके जाने की दशा में संबंधित कार्मिक को दण्डादेश पारित होने के बाद सम्पन्न होने वाले प्रथम तीन चयन वर्षों में अनुपयुक्त(Unfit) /अधिक्रमित (Supercede) किया जायेगा।

परन्तु सम्बंधित कार्मिक हेतु पारित दण्डादेश में यदि कोई नियत समयावधि अंकित है (यथा एक या अधिक वर्षों हेतु संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोका जाना) तो उतने चयन वर्षों में सम्बंधित कार्मिक को 'अनुपयुक्त' घोषित किया जायेगा और उस कार्मिक को तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा जब तक दण्ड में उल्लिखित अवधि समाप्त न हो जाये।

परन्तु यह भी कि संबंधित कार्मिक रिक्तियों की उपलब्धता एवं ज्येष्ठता होने के बावजूद दो बार अनुपयुक्त(Unfit) /अधिक्रमित (Supercede) किया जाए।

3.3.2 किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति का दण्ड दिये जाने की स्थिति में, दण्डादेश जारी होने की तिथि को पदावनति के पद पर कार्यरत कनिष्ठतम कार्मिक की पदोन्नति के उपरान्त ही, ऐसे पदावनत कार्मिक की पदोन्नति पर विचारण किया जायेगा।

3.4 प्रत्येक लघु शास्ति हेतु संबंधित कार्मिक को दण्डादेश पारित होने के उपरान्त सम्पन्न होने वाले प्रथम एक चयन वर्ष में अनुपयुक्त(Unfit) /अधिक्रमित (Supercede) किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि संबंधित कार्मिक रिक्तियों की उपलब्धता एवं ज्येष्ठता होने के बावजूद एक बार अनुपयुक्त(Unfit) /अधिक्रमित (Supercede) किया जाए।

परन्तु यह और कि यदि संबंधित कार्मिक को किसी विनिर्दिष्ट अवधि (For a certain period) के लिए वेतनवृद्धि रोके जाने का दण्ड दिया गया है तो उस कार्मिक को तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा जब तक कि उक्त दण्ड में उल्लिखित समयावधि समाप्त न हो जाये।

3.5 यदि किसी कार्मिक को भिन्न-भिन्न प्रकरणों में पृथक-पृथक दीर्घ/लघु शास्तियाँ दी गयी है तो ऐसे कार्मिक की पदोन्नति पर विचारण करते समय भिन्न-भिन्न शास्तियों का पृथक-पृथक प्रभाव माना जाएगा।

3.6 यदि किसी कार्मिक को किसी दण्डादेश अथवा किसी अन्य प्रतिकूल तथ्य के विद्यमान रहते पूर्व के पदों/पोषक पद पर पदोन्नति प्राप्त हो गयी हो तो उक्त दण्डादेश /प्रतिकूल तथ्य को पदोन्नति हेतु विचारण किये जाने में संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

3.7 जिस वर्ष में वार्षिक प्रतिकूल/असंतोषजनक/खराब प्रविष्टि/विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि रखी गयी है उस वर्ष में उक्त कार्मिक को पदोन्नत नहीं किया जायेगा। प्रत्येक दो वर्षों की प्रतिकूल, खराब/असंतोषजनक/विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि हेतु, रिक्तियों की उपलब्धता एवं ज्येष्ठता होने के बावजूद प्रथम एक चयन में अनुपयुक्त(Unfit) /अधिक्रमित (Supercede) किया जाएगा।

3.8 यदि किसी कार्मिक की किसी वर्ष विशेष की सत्यनिष्ठा अप्रमाणित/संदिग्ध/ रोकी गई (With held) है तो सम्बंधित चयन वर्ष में उसकी पदोन्नति नहीं की जाएगी किन्तु यदि उसके अगले वर्ष/वर्षों में सत्यनिष्ठा प्रमाणित है तो ऐसी अप्रमाणित/संदिग्ध/ रोकी गयी सत्यनिष्ठा को पदोन्नति पर विचारण करते समय प्रतिकूल नहीं माना जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3.9 विचारण अवधि 05 वर्षों (60 माह) में से 24 माह से अधिक की प्रविष्टियां पूर्ण न होने की दशा में, चयन आस्थगित (Defer) किया जायेगा एवं अंतिम तीन वर्ष (36 माह) में से 12 माह से अधिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां अपूर्ण/अप्राप्त होने की दशा में भी चयन आस्थगित (Defer) किया जायेगा।

परन्तु यदि सम्बंधित कार्मिक के निलंबित रहने, किसी प्रविष्टिकर्ता प्राधिकारी (प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता) द्वारा 03 माह से अधिक का कार्य न देखे जाने, उनके सेवानिवृत्त, पदमुक्त, निलंबित होने आदि के कारण प्रविष्टियों का अंकन सम्भव नहीं हो पाया है तो ऐसी अवधि को उक्तानुसार आस्थगन हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

4- संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि सभी प्रतिकूल प्रविष्टियों का नियमानुसार संसूचन करते हुए, प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण करने के उपरान्त ही विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित की जाय। उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष 2012-2013 एवं उसके पश्चात् की सभी प्रकार की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-36/1/78-का-2/2013, दिनांक 01.02.2013 सपठित शासनादेश संख्या-36/1/78-का-2, दिनांक 29.01.2014 की व्यवस्थानुसार संसूचित करते हुए, प्राप्त प्रत्यावेदनों का नियमानुसार निस्तारण करने के उपरान्त ही चयन समिति की बैठक आयोजित की जाय।

5- प्रायः चयन समितियों की बैठक आहूत होने की तिथि को पात्रता क्षेत्र में शामिल कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित विभागीय कार्यवाही में आरोप पत्र निर्गत नहीं रहता है अथवा इसी नियमावली के नियम-10(2) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित रहती है। अतः चयन समितियों की बैठक आहूत किये जाने के पूर्व यथासंभव नियम-7 के अधीन संस्थित विभागीय कार्यवाही में आरोप पत्र निर्गत कर दिये जाएं और नियम-10(2) के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरणों में अंतिम निर्णय ले लिए जाएं।

6- विभागीय चयन समिति के समक्ष, प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों के सही होने की पुष्टि/प्रमाणन का दायित्व संबंधित विभाग/कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी का होगा।

7- अनुरोध है कि कृपया इस विषय पर निर्णय लेते समय उपरोक्त सिद्धान्तों का भली-भांति अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा इन्हें अपने अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों के संज्ञान में भी लाया जाए, ताकि उनके स्तर पर भी उपरोक्त सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

8- उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त केवल विभागीय चयन समिति/सक्षम प्राधिकारियों के पथ प्रदर्शनार्थ है। ये किसी विषय विशेष पर इस संबंध में लागू नियमों को अवक्रमित नहीं करते हैं और न ही इस संबंध में सक्षम प्राधिकारियों के विवेकाधिकार से लिए गए निर्णय के विरुद्ध किसी सरकारी सेवक को किसी प्रकार के बचाव का कोई अधिकार प्रदान करते हैं।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 4 /2022/13(4)2021/का-1-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश ।
2. अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ ।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।